

सेवा में,

श्रीमान शिविर प्रभारी अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी जिल्हाक्षेत्र  
प्रशासन गांव के संग अभियान  
कैम्प गा० पं० भाडका

प्रशासन गांवों के संग  
अभियान-2021

विषय :- उनवान मुस्ताक अली बनाम श्योनारायण के  
उत्तरण को विद्वा कराने बाबत।

महोदय,  
निवेदन है कि एक वाद मुस्ताकअली बनाम  
श्योनारायण श्रीमान जी के न्यायालय में विचाराधीन है।  
जिसमें निवेदन है कि आज कैम्प भाडका में मेरा व  
प्रतिवादी श्योनारायण का आपसी समझौता हो चुका है।  
अतः श्रीमान जी उक्त वाद को विद्वा कर दिया जावे।  
आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते।

1. मुस्ताकअली वादी
2. श्योनारायण प्रतिवादी

शिविर प्रभारी  
संयोजक योजना  
उपखण्ड अधिकारी  
जिल्हाक्षेत्र (असल)

प्रार्थी  
[Signature]

श्री. राजवण  
सावित्री  
सरपंच  
पंचायत भाडका  
40 00 जिल्हाक्षेत्र (असल)



# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम

संक्र

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

8/12/21

आज यह पत्रावली प्रशासन जांच के संग अभियान  
कैम्प ग्राम ००० भाड़ा में पेश हुई। वादी सुस्ता कुआली व जमीन  
श्रीनारायण उपस्थित। पत्रकारान द्वारा एक डार्चना पत्र पेश  
कर निवेदन किया की हम दोनों पक्षों में आपसी समझौते में  
राजिनामा हो चुका है। अतः हमारा वाद विद्रा कर दिया जावे  
पत्रकारान द्वारा उस्तुत डार्चना पत्र स्वीकार किया जाकर  
शामिल पत्रावली किया गया। वादी अपने वाद को आगे  
नही चलाना चाहता विद्रा कराना चाहता है। अतः वादी  
का वाद विद्रा किया जाता है। पत्रावली केसल शुमार है व  
नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

पं

शिविर प्रभारी  
गंगाधर मीणा  
उपखण्ड अधिकारी  
कोटकासिम (अजमेर)



श्री. प्रशासक



सावित्री

सरपंच

ग्राम पंचायत जाड़ा

पिन नं. ३३७००० (अजमेर)